बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 77 /अका./ब.वि.वि./2021 जगदलपुर, दिनांक 29/01/2021

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यपरिषद की 30वीं बैठक दिनांक 29.01.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन/प्रशासन द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का पालन करते हुए बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1.	प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री रेखचंद जैन, विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86 जगदलपुर	विधानसभा सदस्य
3.	माननीय श्री चंदन कश्यप, विधायक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 84–नारायणपुर	विधानसभा सदस्य
4.	डॉ. (श्रीमती) एस.एम. तिमोथी, प्राचार्य, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर।	प्राचार्य–सदस्य
5.	डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर।	प्राचार्य–सदस्य
6.	डॉ. के. इंदिरा, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	संकायाध्यक्ष–सदस्य
7.	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन बस्तर जगदलपुर	वित्त–सदस्य
8.	डॉ. व्ही.के.पाठक, कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सचिव

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

9.	श्री राजेश चौहान, एम.आई.जी., सी–2338, एम.पी.एच.बी. कालोनी, इंडस्ट्रियल स्टेट, भिलाई (छ.ग.)	सदस्य
10.	डॉ. कमलाकर सिंह, पूर्व कुलपति, भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, निवासी–ई–3/22, नुपुर कुंज, अरेरा कालोनी, भोपाल	सदस्य

29 JAN 2021

11. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सरोना। — प्राचार्य–सदस्य
12. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल। — प्राचार्य–सदस्य
13. डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दन्तेवाड़ा — संकायाध्यक्ष – सदस्य
14. डॉ. ए.के. दीक्षित, प्राध्यापक शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम — संकायाध्यक्ष – सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य –

1. श्री श्रीनिवास रथ, वित्त अधिकारी, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
2. डॉ. संजय कुमार डोंगरे, सहायक ग्रंथपाल, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
3. श्री चुन्नी लाल टंडन, सहायक कुलसचिव (स्थापना, प्रशासन एवं अकादमिक) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
4. श्री देवचरण गावड़े, सहायक कुलसचिव (परीक्षा, गोपनीय एवं वाहन) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

आमंत्रित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के नये सदस्यों डॉ. (श्रीमती) एस.एम. तिमोथी, डॉ. चेतन राम पटेल, डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, डॉ. टी.आर. रात्रे, श्री दिवाकर सिंह राठौर, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय जगदलपुर का स्वागत किया गया। कार्यपरिषद के जिन सदस्यों की कार्यकाल समाप्त हो चुका है, (डॉ. कोमल सिंह शार्वा, डॉ. व्ही. विजयलक्ष्मी मूर्ति, डॉ. रश्मि सिंह एवं डॉ. आई.पी. तिवारी तथा डॉ. एस. सी. मुखर्जी) के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के 29वीं बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –2

दिनांक 27/01/2021 को आयोजित विद्यापरिषद की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय वित्त शाखा का प्रस्ताव)

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित बजट के संबंध में।

विभागीय टीपः–

विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु बजट अनुमान तैयार किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित बजट तैयार किया गया है। वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.01.2021 में अनुमोदन उपरांत बजट पर चर्चा एवं अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से पारित किया गया।

29 JAN 2021

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय स्थापना/प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के आदेश क्र. 0005/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020/ जगदलपुर, दिनांक 02.01.2021 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जो वर्ष 2021 में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं/पूर्ण कर लेंगे के नियमानुसार स्थायीकरण/पदोन्नति हेतु परिनियम–31 अंतर्गत नवीन विनियम–91 के प्रावधानानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.01.2021 को निर्धारित समय पूर्वान्ह 11.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के स्थापना शाखा में आहुत की गई। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिये निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम पर विचार किया गया :–

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	7वें वेतनमान अनुसार वेतनमान का लेवल	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	वर्तमान पद पर 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री विपिन कुमार गुप्ता, कुलपति के निज सहायक	9	05/04/2016	05/04/2021
2	सुश्री कमलवती कच्छ, स्टेनोग्राफर	7	17/03/2011	17/03/2016
3	श्रीमती शहनाज बेगम, सहायक ग्रेड–2	6	12/01/2016	12/01/2021
4	श्री नोवल किण्डो, सहायक ग्रेड–2	6	14/01/2016	14/01/2021
5	श्री थान सिंह, सहायक ग्रेड–2	6	12/01/2016	12/01/2021
6	श्री उदय किशोर पाण्डे, सहायक ग्रेड–2	6	12/01/2016	12/01/2021
7	श्री दुष्यंत मेश्राम, सहायक ग्रेड–2	6	06/12/2016	06/12/2021
8	श्री लखेश्वर बघेल, सहायक ग्रेड–3	4	12/01/2016	12/01/2021
9	श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक ग्रेड–3	4	14/01/2016	14/01/2021
10	श्री भरत यादव, भृत्य	1	23/11/2010	23/11/2015
11	श्री सत्यनारायण यादव, चौकीदार	1	23/11/2010	23/11/2015
12	श्री देवनाथ कश्यप, चौकीदार	1	23/11/2010	23/11/2015

29 JAN 2021

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.01.2021 का संयुक्त हस्ताक्षरित कार्यवाही विवरण एवं प्रतिवेदन सीलबंद लिफाफे में नियोक्ता प्राधिकारी कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत किया गया है। सीलबंद लिफाफा खोलकर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार तथा नवीन विनियम–91 के प्रावधानानुसार कार्यवाही करते हुए अनुशंसित कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश जारी किया जायेगा। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

पदोन्नति की कार्यवाही एवं पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय स्थापना / प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक ग्रंथपाल के अकादमिक ग्रेड वेतनमान रूपये 7000/– से रूपये 8000/– में उन्नयन हेतु गठित छानबीन सह मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के संबंध में।

विभागीय टीप–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत 04 सहायक प्राध्यापकों एवं 01 सहायक ग्रंथपाल के अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 से 8000 में (द्वितीय से तृतीय स्तर में) उन्नयन के लिये संबंधित सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक ग्रंथपाल ने अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 में 5 वर्ष की सत्‌त सेवा अवधि पूर्ण करने पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010, 2016/2018 के अनुसार वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए निर्धारित पी.बी.ए.एस. प्रपत्र में आवश्यक जानकारी दर्ज करते हुये दस्तावेज संलग्न कर विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतकर्ता समिति द्वारा उपरोक्तानुसार पी.बी.ए.एस. प्रपत्र में दर्ज की गई जानकारी का सेवा अभिलेखों के आधार पर निम्नानुसार परीक्षण किया गया है :–

क्र.	नाम एवं पदनाम	प्रथम नियुक्ति तिथि अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 6000 प्रथम स्तर	अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 में उन्नयन तिथि द्वितीय स्तर	अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 में 5 वर्ष की सतत् सेवा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक	18/03/2010	18/03/2014	18/03/2019
2	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक	18/03/2010	18/03/2014	18/03/2019
3	डॉ. सुकृता तिर्की सहायक प्राध्यापक	01/04/2010	01/04/2014	01/04/2019
4	डॉ. सजीवन कुमार सहायक प्राध्यापक	26/04/2010	26/04/2014	26/04/2019
5	डॉ. संजय कुमार डोंगरे सहायक ग्रंथपाल	13/12/2010	13/12/2014	13/12/2019

29 JAN 2021

अकादमिक ग्रेड—वेतनमान रूपये 7000 से 8000 में उन्नयन तिथि (द्वितीय स्तर से तृतीय स्तर में) सी.ए.एस. प्रोन्नति के लिये ए.पी.आई. स्कोर की गणना छानबीन—सह—मूल्यांकन समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010, 2016/2018 के अनुसार निर्धारित पी.बी.ए.एस. प्रपत्र में दर्ज की गई प्रविष्ठियों के प्रमाण में संलग्न किये गये दस्तावेज के आधार पर नियमानुसार किया गया है। सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक ग्रंथपाल की अकादमिक ग्रेड—वेतनमान रूपये 7000 से रूपये 8000 में (द्वितीय से तृतीय स्तर में) उन्नयन के लिये Eligibility/Non Eligibility निश्चित करते हुए छानबीन सह मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन संबंधी 03 नग गोपनीय लिफाफा कार्यपरिषद के समक्ष खोला जाना है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :—

सीलबंद लिफाफे खोले गये। छानबीन—सह—मूल्यांकन समिति द्वारा उपरोक्त 04 सहायक प्राध्यापकों एवं 01 सहायक ग्रंथपाल को अकादमिक ग्रेड—वेतनमान रूपये 7000 से 8000 में उन्नयन तिथि (द्वितीय स्तर से तृतीय स्तर में) सी.ए.एस. प्रोन्नति के लिये योग्य पाया। कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। सहायक प्राध्यापकों की सूची के सरल क्रमांक—3 एवं 4 में निम्नानुसार संशोधन/सुधार किया गया :—

क्र.	नाम एवं पदनाम	प्रथम नियुक्ति तिथि अकादमिक ग्रेड—वेतनमान रूपये 6000 प्रथम स्तर	अकादमिक ग्रेड—वेतनमान रूपये 7000 में उन्नयन तिथि द्वितीय स्तर	अकादमिक ग्रेड—वेतनमान रूपये 7000 में 5 वर्ष की सत्त सेवा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक	**18/03/2010**	**18/03/2014**	**18/03/2019**
2	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक	**18/03/2010**	**18/03/2014**	**18/03/2019**
3	डॉ. सजीवन कुमार सहायक प्राध्यापक	**01/04/2010**	**01/04/2014**	**01/04/2019**
4	डॉ. सुकृता तिर्की सहायक प्राध्यापक	**26/04/2010**	**26/04/2014**	**26/04/2019**
5	डॉ. संजय कुमार डोंगरे सहायक ग्रंथपाल	**13/12/2010**	**13/12/2014**	**13/12/2019**

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय स्थापना/प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीपः—

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत 2 डाटा एन्ट्री आपरेटर, 3 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 2 वाहन चालक के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 11/2008 के पत्र क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार, रायपुर दिनांक 28 अप्रैल की कंडिका—03 के अनुसार "स" वर्ग की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के पश्चात् 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय करने हेतु सामूहिक आवेदन प्राप्त हुआ है।

29 JAN 2021

कॉलम–2 में अंकित निम्नलिखित कर्मचारियों को वित्त निर्देश 11/2008 के अनुसार तथा समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय करने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नाम के सम्मुख कॉलम–5 में उल्लेखित तिथि को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पश्चात् समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान की पात्रता है :–

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद	6वां वेतनमान पे बैंड + ग्रेड पे	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण दिनांक	10 वर्ष की सीमा उपरांत देय समयमान वेतनमान का दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री दुष्यन्त मेश्राम, सहायक ग्रेड–2	5200-20200 + 2400	16/10/2007	16/10/2017 (Time Scale Date)
2	श्री विपुल पाल, प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200 + 2400	07/09/2009	07/09/2019 (Time Scale Date)
3	श्री शोभाराम नाग, प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200 + 2400	06/10/2009	06/10/2019 (Time Scale Date)
4	श्री प्रवीण द्विवेदी, प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200 + 2400	18-05--2010	18/05/2020 (Time Scale Date)
5	श्री प्यारेलाल यादव, डाटा एण्ट्री आपरेटर	5200-20200 + 2400	03/11/2009	03/11/2019 (Time Scale Date)
6	श्री राम मरकाम, डाटा एण्ट्री आपरेटर	5200-20200 + 2400	04/11/2009	04/11/2019 (Time Scale Date)
7	श्री संतोष कुमार तिड़के वाहन चालक	5200-20200 + 1900	23/11/2010	23/11/2020 (Time Scale Date)
8	श्री राजू राम ध्रुव वाहन चालक	5200-20200 + 1900	23/12/2010	23/12/2020 (Time Scale Date)

बस्तर विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की 28वीं बैठक दिनांक 22.08.2020 के पूरक एजेण्डा विषय–3 में स्थापना एवं प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर लिये गये निर्णयानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के वित्त निर्देश 11/2008 दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के अनुसार समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति दिये जाने के संबंध में कर्मचारियों को पात्रता के परीक्षण एवं अभिमत/अनुशंसा के लिये समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की बैठक दिनांक 01.09.2020 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है –

छ.ग. शासन, वित्त निर्देश 11/2008 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों को परिशिष्ट–2 में सम्मिलित करने हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया जाये।

विश्वविद्यालय में भर्ती नियम/विनियम तैयार कर सीधी भर्ती के पदों को चिन्हांकित किया जाये। तत्पश्चात आगामी बैठक में प्रस्ताव रखा जाये अथवा शासन से (वित्त विभाग से) समयमान वेतनमान दिये जाने की अनुमति प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रदाय किया जाये।

29 JAN 2021

अतः समिति की उपरोक्त अनुशंसा के बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों को परिशिष्ट–2 में सम्मिलित करने हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया। पुनः कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 412/126/आउशि/वि.वि.अनु/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/851/ ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 11/11/ 2020 के द्वारा पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

समिति की उपरोक्त अनुशंसा के बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार कार्यपरिषद की 29वीं बैठक दिनांक 03.11.2020 में लिये गये निर्णयानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की अधिसूचना क्रमांक/827/ ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 09/11/2020 के अनुसार अधिसूचना जारी होने की तिथि से बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में नवीन विनियम–91 ''बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती, पदोन्नति विनियम, 2020'' लागू किया गया है।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के वित्त अधिकारी से पुनः अभिमत प्राप्त किया गया। वित्त अधिकारी के अभिमतानुसार जिन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पश्चात् समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान की पात्रता है, उन्हें वित्त निर्देश 11/2008 के परिशिष्ट–1 में सम्मिलित समान पद एवं वेतनमान वाले पदो के अनुसार तथा समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय करने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वित्त निर्देश 11/2008 में दिये गये निर्देशो का पालन कर, कार्यवाही एवं सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय किया जा सकता है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से शासन नियम एवं निर्देशानुसार समयमान वेतनमान/उच्च्तर वेतनमान एवं देय एरियर्स का भुगतान किया जाय।

विषय क्रमांक – 7 (विश्वविद्यालय स्थापना/प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में संविदा में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों की संविदा अवधि में एक वर्ष के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

विभागीय टीप–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/253/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 03.02.2020 के अनुसार कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में कार्यरत निम्नलिखित संविदा सहायक प्राध्यापकों संविदा अवधि का नवीनीकरण छ.ग. शासन सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की कंडिका 11(2) के प्रावधानानुसार दिनांक 28.01.2020 से 01 वर्ष के लिये अथवा सहायक प्राध्यापक पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक की अविध के लिये छ.ग. शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन नियत प्रतिमाह एकमुश्त संविदा वेतन पर किया गया था।

29 JAN 2021

कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में कार्यरत निम्नलिखित संविदा सहायक प्राध्यापकों की कार्य अवधि कॉलम–7 के अनुसार समाप्त होने वाली है:–

क्र.	संविदा सहायक प्राध्यापकों का नाम	अध्ययनशाला का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि	प्रथम नवीनीकरण तिथि	द्वितीय नवीनीकरण तिथि	कार्य अवधि समाप्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रमोद सिंह	कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला	25/01/2018	28/01/2019	28/01/2020	27/01/2021
2	श्री राघवेन्द्र पटेल	कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला	25/01/2018	28/01/2019	28/01/2020	27/01/2021

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 नया रायपुर, दिनांक 03.07.2015 के अनुसार संविदा नियुक्ति की कार्यवाही यदि संविदा नियम 2004 निरसित होने के पूर्व उक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विज्ञापन जारी कर एवं चयन प्रक्रिया अपना कर की गई हो तो उसकी संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के उपरांत उसके नवीनीकरण के संबंध में प्रशासकीय विभाग नये संविदा नियम, 2012 के नियम 11 एवं उक्त नियमों के समय–समय पर किये गये संशोधनों के तहत संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए नवीनीकरण करने के संबंध में निर्णय ले सकता है।

संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का आशय संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की संविदा की अवधि में वृद्धि का नहीं है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार में एक वर्ष के लिए नवीनीकरण करने का निर्णय लेने के उपरांत, प्रशासकीय विभाग को संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त करने का आदेश पुनः जारी करना होगा। इस प्रकार नवीनीकरण के नये आदेश में भी संविदा की शर्ते संविदा नियम, 2012 के अनुसार ही निर्धारित की जाएंगी।

अतः कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में आज पर्यन्त नियमित नियुक्ति नहीं होने के फलस्वरूप छात्रहित में शैक्षणिक सत्र 2020–21 एवं 2021–22 में अध्यापन कार्य को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त संविदा सहायक प्राध्यापकों की सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात् संविदा नियुक्ति पुनः एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक विचारार्थ रखा जा सकता है।

निर्णय :–

कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों श्री प्रमोद सिंह एवं श्री राघवेन्द्र पटेल की संविदा नियुक्ति का पुनः एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त दोनों संविदा सहायक प्राध्यापकों का नवीनीकरण दिनांक 28.01.2021 से प्रभावशील होगा।

29 JAN 2021

विषय क्रमांक – 8 (विश्वविद्यालय स्थापना/प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियुक्ति दिनांक से पी.एफ. कटौती एवं नियोक्ता अंशदान के भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के द्वारा कुलपति एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 17.12.2020 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिनांक से ई.पी.एफ. एवं ई.सी.एस. कटौती करते हुये नियोक्ता अंशदान 12 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि खाते में अंशदान का भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेख किया गया है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संत गैहरा गुरू विश्वविद्यालय, अंबिकापुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की पी.एफ. कटौती करते हुये नियोक्ता अंशदान 12 प्रतिशत की दर से किया जा रहा है।

संबंधित विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद के निर्णय तथा छ.ग.शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर, क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रिय कार्यालय, रायपुर, उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर तथा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के द्वारा कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 03.03.2020 एवं कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 26.06.2020 द्वारा भी पूर्व में अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा कलेक्टर, जिला–बस्तर, जगदलपुर को पत्र दिनांक 03.03.2020 तथा श्रमपदाधिकारी जिला–बस्तर, जगदलपुर को पत्र दिनांक 26.08.2020 प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक मार्ग दर्शन एवं दिशानिर्देश हेतु लेख किया गया है, परंतु आज दिनांक तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को पत्र दिनांक 03.03.2020 एवं 26.08.2020 को प्रेषित कर इस संबंध में यदि आवश्यक कार्यवाही की गई हो तो जानकारी मय अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है, परंतु आज दिनांक तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक /507/ब–4/चार नया रायपुर, दिनांक 12.07.2017 के वित्त निर्देश 11/17, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र कमांक–92/समन्वय/श्र.आ./2016/7672, दिनांक 22.11.2016 एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक RPFC I/Sectt/688, दिनांक 18.10.2016 के अनुसार शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं तथा शासन द्वारा चलाये जा रहे संस्थाओं में कार्यरत ठेका तथा आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु श्रमिकों को भविष्य निधि सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियुक्ति दिनांक से पी.एफ. कटौती एवं नियोक्ता अंशदान के भुगतान की कार्यवाही किया जाये।

29 JAN 2021

विषय क्रमांक –9 (विश्वविद्यालय वाहन प्रकोष्ट का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के पुराने वाहन Indica CG02-4019 का मरम्मत कार्योपरांत फर्म Maa Kali Automobile, Rajmahal Parisar, Jagdalpur को राशि रू. 97700 =00 (संतानवे हजार सात सौ) का भुगतान करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 24वीं बैठक दिनांक 30/09/2019 के विषय क्रमांक 18 में विश्वविद्यालय वाहन Indica CG02-4019 तथा Indigo CG02-4020 के मरम्मत हेतु कार्यपरिषद ने रू. 2.00 (दो लाख) तक के व्यय में स्वीकृति दी थी। इस तारतम्य में स्थानीय फर्मो से भावपत्र आमंत्रित करते हुये प्रथमतः Indica CG02-4019 वाहन की मरम्मत फर्म Maa Kali Automobile, Rajmahal Parisar, Jagdalpur से करवाई गई है। जिसकी जी.एस.टी. सहित मरम्मत लागत रू. 97700 =00 (संतानवे हजार, सात सौ) का भुगतान करने देयक क्रमांक 31, दिनांक 20.03.2020 प्राप्त हुआ है। भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –10 (विश्वविद्यालय वाहन प्रकोष्ट का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय के पुराने वाहन Indigo CG02-4020 को स्थानीय क्रेता फर्मो/ईच्छुकों से दर आमंत्रित करते हुये अपलेखन एवं विक्रय करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

दिनांक 30/09/2019 को बस्तर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 24वीं बैठक के विषय क्रमांक 18 में वाहन Indica CG02-4019 तथा Indigo CG02-4020 के मरम्मत हेतु कार्यपरिषद ने रू. 2.00 (दो लाख) तक के व्यय की स्वीकृति दी थी। इस तारतम्य में Indigo CG02-4020 वाहन की मरम्मत से पूर्व परीक्षण करवाया गया। जिसके अनुसार मरम्मत में अत्यधिक राशि व्यय होने की संभावना बताई गई है।

सुधारकों का यह भी कहना है कि मरम्मत के उपरांत उक्त वाहन लम्बी अवधि तक चलित अवस्था में नहीं रह पायेगा। चूंकि वर्ष 2019 में लोक निर्माण विभाग (वि./यां) तथा आर.टी.ओ. कार्यालय, जगदलपुर द्वारा परीक्षणोपरांत उक्त वाहन का न्यूनतम रू. 60000 = 00 (साठ हजार मात्र) मूल्यांकन किया गया है तथा विक्रय की अनुमानित लागत रू. 1.00 (एक लाख मात्र) से कम होने की संभावना है। इस कारण स्थानीय वाहन क्रेता फर्मो/ईच्छुकों से भावपत्र आमंत्रित करते हुये इस वाहन की बिक्री की जा सकती है। अतः अपलेखन एवं विक्रय की अनुमति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

नियमानुसार अपलेखन एवं विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

29 JAN 2021

विषय क्रमांक –11 (विश्वविद्यालय ग्रंथालय का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के लिए पुस्तकें क्रय करने हेतु वर्ष 2019 में निविदा अनुसार अनुबंधित फर्म Techniz Books International, Kalkaji, New Delhi तथा Arvind Prakashan, Ashok Nagar, Main Road, Udaipur [Rajasthan] के अनुबंध की वैद्यता आगामी 01 वर्ष तक अर्थात दिनांक 21/10/2021 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के लिए पुस्तकें क्रय करने हेतु वर्ष 2019 के निविदा में पेपर बाउंड के लिए Techniz Books International, Kalkaji, New Delhi तथा हार्ड बाउंड के लिए Arvind Prakashan, Ashok Nagar, Main Road, Udaipur [Rajasthan] का दर स्वीकृत किया गया। दोनो फर्मो के साथ विश्वविद्यालय का अनुबंध एवं सत्यनिष्ठा संधि दिनांक 22/10/2019 को किया गया। अनुबंध के अनुसार पुस्तकें क्रय करने हेतु अनुबंध की अवधि यदि विश्वविद्यालय चाहे तो आगामी 01 वर्ष तक पुनः बढ़ाई जा सकेगी।

चूंकि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के कारण वर्तमान शैक्षणिक सत्र प्रभावित रहा है तथा सम्पूर्ण पुस्तकों के क्रय आदेश जारी नहीं किये जा सके हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य मे पुनः पुस्तकों की आवश्यकता होगी। इस संबंध में दोनो फर्मो Techniz Books International, New Delhi तथा Arvind Prakashan, Udaipur [RAJASTHAN] का द्वारा स्वीकृत छूट प्रतिषत दर में आगामी 01 वर्ष तक अनुबंध अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। क्रयादेशित फर्म का कार्य संतोषप्रद है। चूंकि पुनः निविदा से विश्वविद्यालय मे आर्थिक भार पड़ेगा, इस हेतु यदि मान्य हो तो उक्त अनुबंध की वैद्यता आगामी 01 वर्ष तक अर्थात दिनांक 21/10/2021 तक बढ़ाये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए अनुबंध की वैद्यता आगामी 01 वर्ष तक अर्थात दिनांक 21/10/2021 तक बढ़ाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –12

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई पूरक एजेण्डा।

निर्णय :–

निरंक

कुलपति
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

29/01/2021
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

29 JAN 2021

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 77 /अका./ब.वि.वि./2021 जगदलपुर, दिनांक 29/01/2021

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यपरिषद की 30वीं बैठक दिनांक 29.01.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन/प्रशासन द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का पालन करते हुए बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1. प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , — अध्यक्ष
   कुलपति,
   बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
2. माननीय श्री रेखचंद जैन, विधायक — विधानसभा सदस्य
   विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86 जगदलपुर
3. माननीय श्री चंदन कश्यप, विधायक — विधानसभा सदस्य
   निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 84–नारायणपुर
4. डॉ. (श्रीमती) एस.एम. तिमोथी, प्राचार्य, — प्राचार्य–सदस्य
   शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर।
5. डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य, — प्राचार्य–सदस्य
   शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर।
6. डॉ. के. इंदिरा, प्राध्यापक — संकायाध्यक्ष–सदस्य
   शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
7. संभागीय संयुक्त संचालक, — वित्त–सदस्य
   कोष, लेखा एवं पेंशन बस्तर जगदलपुर
8. डॉ. व्ही.के.पाठक, — सचिव
   कुलसचिव,
   बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

9. श्री राजेश चौहान, — सदस्य
   एम.आई.जी., सी–2338, एम.पी.एच.बी. कालोनी, इंडस्ट्रियल स्टेट, भिलाई (छ.ग.)
10. डॉ. कमलाकर सिंह, पूर्व कुलपति, — सदस्य
   भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, निवासी–ई–3/22, नुपुर कुंज, अरेरा कालोनी, भोपाल

29 JAN 2021

11. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सरोना। — प्राचार्य–सदस्य
12. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल। — प्राचार्य–सदस्य
13. डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दन्तेवाड़ा — संकायाध्यक्ष – सदस्य
14. डॉ. ए.के. दीक्षित, प्राध्यापक शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम — संकायाध्यक्ष – सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य –

1. श्री श्रीनिवास रथ, वित्त अधिकारी, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
2. डॉ. संजय कुमार डोंगरे, सहायक ग्रंथपाल, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
3. श्री चुन्नी लाल टंडन, सहायक कुलसचिव (स्थापना, प्रशासन एवं अकादमिक) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
4. श्री देवचरण गावड़े, सहायक कुलसचिव (परीक्षा, गोपनीय एवं वाहन) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

आमंत्रित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के नये सदस्यों डॉ. (श्रीमती) एस.एम. तिमोथी, डॉ. चेतन राम पटेल, डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, डॉ. टी.आर. रात्रे, श्री दिवाकर सिंह राठौर, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय जगदलपुर का स्वागत किया गया। कार्यपरिषद के जिन सदस्यों की कार्यकाल समाप्त हो चुका है, (डॉ. कोमल सिंह शार्वा, डॉ. व्ही. विजयलक्ष्मी मूर्ति, डॉ. रश्मि सिंह एवं डॉ. आई.पी. तिवारी तथा डॉ. एस. सी. मुखर्जी) के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के 29वीं बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –2

दिनांक 27/01/2021 को आयोजित विद्यापरिषद की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय वित्त शाखा का प्रस्ताव)

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित बजट के संबंध में।

विभागीय टीपः–

विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु बजट अनुमान तैयार किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित बजट तैयार किया गया है। वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.01.2021 में अनुमोदन उपरांत बजट पर चर्चा एवं अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से पारित किया गया।

29 JAN 2021

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय स्थापना/प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के आदेश क्र. 0005/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020/ जगदलपुर, दिनांक 02.01.2021 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जो वर्ष 2021 में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं/पूर्ण कर लेंगे के नियमानुसार स्थायीकरण/पदोन्नति हेतु परिनियम–31 अंतर्गत नवीन विनियम–91 के प्रावधानानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.01.2021 को निर्धारित समय पूर्वान्ह 11.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के स्थापना शाखा में आहुत की गई। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिये निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम पर विचार किया गया :–

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	7वें वेतनमान अनुसार वेतनमान का लेवल	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	वर्तमान पद पर 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री विपिन कुमार गुप्ता, कुलपति के निज सहायक	**9**	**05/04/2016**	**05/04/2021**
2	सुश्री कमलवती कच्छ, स्टेनोग्राफर	**7**	**17/03/2011**	**17/03/2016**
3	श्रीमती शहनाज बेगम, सहायक ग्रेड–2	**6**	**12/01/2016**	**12/01/2021**
4	श्री नोवल किण्डो, सहायक ग्रेड–2	**6**	**14/01/2016**	**14/01/2021**
5	श्री थान सिंह, सहायक ग्रेड–2	**6**	**12/01/2016**	**12/01/2021**
6	श्री उदय किशोर पाण्डे, सहायक ग्रेड–2	**6**	**12/01/2016**	**12/01/2021**
7	श्री दुष्यंत मेश्राम, सहायक ग्रेड–2	**6**	**06/12/2016**	**06/12/2021**
8	श्री लखेश्वर बघेल, सहायक ग्रेड–3	**4**	**12/01/2016**	**12/01/2021**
9	श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक ग्रेड–3	**4**	**14/01/2016**	**14/01/2021**
10	श्री भरत यादव, भृत्य	**1**	**23/11/2010**	**23/11/2015**
11	श्री सत्यनारायण यादव, चौकीदार	**1**	**23/11/2010**	**23/11/2015**
12	श्री देवनाथ कश्यप, चौकीदार	**1**	**23/11/2010**	**23/11/2015**

29 JAN 2021

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.01.2021 का संयुक्त हस्ताक्षरित कार्यवाही विवरण एवं प्रतिवेदन सीलबंद लिफाफे में नियोक्ता प्राधिकारी कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत किया गया है। सीलबंद लिफाफा खोलकर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार तथा नवीन विनियम–91 के प्रावधानानुसार कार्यवाही करते हुए अनुशंसित कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश जारी किया जायेगा। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

पदोन्नति की कार्यवाही एवं पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय स्थापना/प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक ग्रंथपाल के अकादमिक ग्रेड वेतनमान रूपये 7000/– से रूपये 8000/– में उन्नयन हेतु गठित छानबीन सह मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के संबंध में।

विभागीय टीप–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत 04 सहायक प्राध्यापकों एवं 01 सहायक ग्रंथपाल के अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 से 8000 में (द्वितीय से तृतीय स्तर में) उन्नयन के लिये संबंधित सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक ग्रंथपाल ने अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 में 5 वर्ष की सतत सेवा अवधि पूर्ण करने पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010, 2016/2018 के अनुसार वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए निर्धारित पी.बी.ए.एस. प्रपत्र में आवश्यक जानकारी दर्ज करते हुये दस्तावेज संलग्न कर विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतकर्ता समिति द्वारा उपरोक्तानुसार पी.बी.ए.एस. प्रपत्र में दर्ज की गई जानकारी का सेवा अभिलेखों के आधार पर निम्नानुसार परीक्षण किया गया है :–

क्र.	नाम एवं पदनाम	प्रथम नियुक्ति तिथि अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 6000 प्रथम स्तर	अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 में उन्नयन तिथि द्वितीय स्तर	अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 में 5 वर्ष की सतत सेवा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक	18/03/2010	18/03/2014	18/03/2019
2	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक	18/03/2010	18/03/2014	18/03/2019
3	डॉ. सुकृता तिर्की सहायक प्राध्यापक	01/04/2010	01/04/2014	01/04/2019
4	डॉ. सजीवन कुमार सहायक प्राध्यापक	26/04/2010	26/04/2014	26/04/2019
5	डॉ. संजय कुमार डोंगरे सहायक ग्रंथपाल	13/12/2010	13/12/2014	13/12/2019

29 JAN 2021

अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 से 8000 में उन्नयन तिथि (द्वितीय स्तर से तृतीय स्तर में) सी.ए.एस. प्रोन्नति के लिये ए.पी.आई. स्कोर की गणना छानबीन–सह–मूल्यांकन समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010, 2016/2018 के अनुसार निर्धारित पी.बी.ए.एस. प्रपत्र में दर्ज की गई प्रविष्ठियों के प्रमाण में संलग्न किये गये दस्तावेज के आधार पर नियमानुसार किया गया है। सहायक प्राध्यापकों एवं सहायक ग्रंथपाल की अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 से रूपये 8000 में (द्वितीय से तृतीय स्तर में) उन्नयन के लिये Eligibility/Non Eligibility निश्चित करते हुए छानबीन सह मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन संबंधी 03 नग गोपनीय लिफाफा कार्यपरिषद के समक्ष खोला जाना है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सीलबंद लिफाफे खोले गये। छानबीन–सह–मूल्यांकन समिति द्वारा उपरोक्त 04 सहायक प्राध्यापकों एवं 01 सहायक ग्रंथपाल को अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 से 8000 में उन्नयन तिथि (द्वितीय स्तर से तृतीय स्तर में) सी.ए.एस. प्रोन्नति के लिये योग्य पाया। कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। सहायक प्राध्यापकों की सूची के सरल क्रमांक–3 एवं 4 में निम्नानुसार संशोधन/सुधार किया गया :–

क्र.	नाम एवं पदनाम	प्रथम नियुक्ति तिथि अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 6000 प्रथम स्तर	अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 में उन्नयन तिथि द्वितीय स्तर	अकादमिक ग्रेड–वेतनमान रूपये 7000 में 5 वर्ष की सत्त सेवा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक	**18/03/2010**	**18/03/2014**	**18/03/2019**
2	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक	**18/03/2010**	**18/03/2014**	**18/03/2019**
3	डॉ. सजीवन कुमार सहायक प्राध्यापक	**01/04/2010**	**01/04/2014**	**01/04/2019**
4	डॉ. सुकृता तिर्की सहायक प्राध्यापक	**26/04/2010**	**26/04/2014**	**26/04/2019**
5	डॉ. संजय कुमार डोंगरे सहायक ग्रंथपाल	**13/12/2010**	**13/12/2014**	**13/12/2019**

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय स्थापना/प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय किये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप:–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत 2 डाटा एन्ट्री आपरेटर, 3 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 2 वाहन चालक के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 11/2008 के पत्र क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार, रायपुर दिनांक 28 अप्रैल की कंडिका–03 के अनुसार ''स'' वर्ग की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के पश्चात् 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय करने हेतु सामूहिक आवेदन प्राप्त हुआ है।

29 JAN 2021

कॉलम–2 में अंकित निम्नलिखित कर्मचारियों को वित्त निर्देश 11/2008 के अनुसार तथा समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय करने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नाम के सम्मुख कॉलम–5 में उल्लेखित तिथि को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पश्चात् समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान की पात्रता है :–

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद	6वां वेतनमान पे बैंड + ग्रेड पे	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण दिनांक	10 वर्ष की सीमा उपरांत देय समयमान वेतनमान का दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री दुष्यन्त मेश्राम, सहायक ग्रेड–2	5200-20200 + 2400	16/10/2007	16/10/2017 (Time Scale Date)
2	श्री विपुल पाल, प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200 + 2400	07/09/2009	07/09/2019 (Time Scale Date)
3	श्री शोभाराम नाग, प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200 + 2400	06/10/2009	06/10/2019 (Time Scale Date)
4	श्री प्रवीण द्विवेदी, प्रयोगशाला तकनीशियन	5200-20200 + 2400	18-05--2010	18/05/2020 (Time Scale Date)
5	श्री प्यारेलाल यादव, डाटा एण्ट्री आपरेटर	5200-20200 + 2400	03/11/2009	03/11/2019 (Time Scale Date)
6	श्री राम मरकाम, डाटा एण्ट्री आपरेटर	5200-20200 + 2400	04/11/2009	04/11/2019 (Time Scale Date)
7	श्री संतोष कुमार तिड़के वाहन चालक	5200-20200 + 1900	23/11/2010	23/11/2020 (Time Scale Date)
8	श्री राजू राम ध्रुव वाहन चालक	5200-20200 + 1900	23/12/2010	23/12/2020 (Time Scale Date)

बस्तर विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की 28वीं बैठक दिनांक 22.08.2020 के पूरक एजेण्डा विषय–3 में स्थापना एवं प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर लिये गये निर्णयानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के वित्त निर्देश 11/2008 दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के अनुसार समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति दिये जाने के संबंध में कर्मचारियों को पात्रता के परीक्षण एवं अभिमत/अनुशंसा के लिये समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की बैठक दिनांक 01.09.2020 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है –

छ.ग. शासन, वित्त निर्देश 11/2008 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों को परिशिष्ट–2 में सम्मिलित करने हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया जाये।

विश्वविद्यालय में भर्ती नियम/विनियम तैयार कर सीधी भर्ती के पदों को चिन्हांकित किया जाये। तत्पश्चात आगामी बैठक में प्रस्ताव रखा जाये अथवा शासन से (वित्त विभाग से) समयमान वेतनमान दिये जाने की अनुमति प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रदाय किया जाये।

29 JAN 2021

अतः समिति की उपरोक्त अनुशंसा के बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों को परिशिष्ट–2 में सम्मिलित करने हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया। पुनः कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 412/126/आउशि/वि.वि.अनु/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/851/ ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 11/11/ 2020 के द्वारा पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

समिति की उपरोक्त अनुशंसा के बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार कार्यपरिषद की 29वीं बैठक दिनांक 03.11.2020 में लिये गये निर्णयानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की अधिसूचना क्रमांक/827/ ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 09/11/2020 के अनुसार अधिसूचना जारी होने की तिथि से बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में नवीन विनियम–91 ''बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (गैर शैक्षणिक लिपिकीय एवं अलिपिकीय) पदों पर भर्ती, पदोन्नति विनियम, 2020'' लागू किया गया है।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के वित्त अधिकारी से पुनः अभिमत प्राप्त किया गया। वित्त अधिकारी के अभिमतानुसार जिन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पश्चात् समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान की पात्रता है, उन्हें वित्त निर्देश 11/2008 के परिशिष्ट–1 में सम्मिलित समान पद एवं वेतनमान वाले पदो के अनुसार तथा समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय करने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वित्त निर्देश 11/2008 में दिये गये निर्देशो का पालन कर, कार्यवाही एवं सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर समयमान वेतनमान/उच्चतर वेतनमान प्रदाय किया जा सकता है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से शासन नियम एवं निर्देशानुसार समयमान वेतनमान/उच्च्तर वेतनमान एवं देय एरियर्स का भुगतान किया जाय।

विषय क्रमांक – 7 (विश्वविद्यालय स्थापना/प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में संविदा में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों की संविदा अवधि में एक वर्ष के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

विभागीय टीप–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/253/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 03.02.2020 के अनुसार कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में कार्यरत निम्नलिखित संविदा सहायक प्राध्यापकों संविदा अवधि का नवीनीकरण छ.ग. शासन सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की कंडिका 11(2) के प्रावधानानुसार दिनांक 28.01.2020 से 01 वर्ष के लिये अथवा सहायक प्राध्यापक पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक की अविध के लिये छ.ग. शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन नियत प्रतिमाह एकमुश्त संविदा वेतन पर किया गया था।

29 JAN 2021

कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में कार्यरत निम्नलिखित संविदा सहायक प्राध्यापकों की कार्य अवधि कॉलम–7 के अनुसार समाप्त होने वाली है:–

क्र.	संविदा सहायक प्राध्यापकों का नाम	अध्ययनशाला का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि	प्रथम नवीनीकरण तिथि	द्वितीय नवीनीकरण तिथि	कार्य अवधि समाप्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रमोद सिंह	कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला	25/01/2018	28/01/2019	28/01/2020	27/01/2021
2	श्री राघवेन्द्र पटेल	कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला	25/01/2018	28/01/2019	28/01/2020	27/01/2021

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 नया रायपुर, दिनांक 03.07.2015 के अनुसार संविदा नियुक्ति की कार्यवाही यदि संविदा नियम 2004 निरसित होने के पूर्व उक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विज्ञापन जारी कर एवं चयन प्रक्रिया अपना कर की गई हो तो उसकी संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के उपरांत उसके नवीनीकरण के संबंध में प्रशासकीय विभाग नये संविदा नियम, 2012 के नियम 11 एवं उक्त नियमों के समय–समय पर किये गये संशोधनों के तहत संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए नवीनीकरण करने के संबंध में निर्णय ले सकता है।

संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का आशय संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की संविदा की अवधि में वृद्धि का नहीं है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार में एक वर्ष के लिए नवीनीकरण करने का निर्णय लेने के उपरांत, प्रशासकीय विभाग को संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त करने का आदेश पुनः जारी करना होगा। इस प्रकार नवीनीकरण के नये आदेश में भी संविदा की शर्ते संविदा नियम, 2012 के अनुसार ही निर्धारित की जाएंगी।

अतः कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में आज पर्यन्त नियमित नियुक्ति नहीं होने के फलस्वरूप छात्रहित में शैक्षणिक सत्र 2020–21 एवं 2021–22 में अध्यापन कार्य को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त संविदा सहायक प्राध्यापकों की सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात् संविदा नियुक्ति पुनः एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक विचारार्थ रखा जा सकता है।

निर्णय :–

कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों श्री प्रमोद सिंह एवं श्री राघवेन्द्र पटेल की संविदा नियुक्ति का पुनः एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त दोनों संविदा सहायक प्राध्यापकों का नवीनीकरण दिनांक 28.01.2021 से प्रभावशील होगा।

29 JAN 2021

विषय क्रमांक – 8 (विश्वविद्यालय स्थापना / प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियुक्ति दिनांक से पी.एफ. कटौती एवं नियोक्ता अंशदान के भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप–

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के द्वारा कुलपति एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 17.12.2020 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिनांक से ई.पी.एफ. एवं ई.सी.एस. कटौती करते हुये नियोक्ता अंशदान 12 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि खाते में अंशदान का भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेख किया गया है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संत गैहरा गुरू विश्वविद्यालय, अंबिकापुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की पी.एफ. कटौती करते हुये नियोक्ता अंशदान 12 प्रतिशत की दर से किया जा रहा है।

संबंधित विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद के निर्णय तथा छ.ग.शासन, कार्यालय मुख्य सचिव, महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर, क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रिय कार्यालय, रायपुर, उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर तथा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के द्वारा कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 03.03.2020 एवं कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 26.06.2020 द्वारा भी पूर्व में अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा कलेक्टर, जिला–बस्तर, जगदलपुर को पत्र दिनांक 03.03.2020 तथा श्रमपदाधिकारी जिला–बस्तर, जगदलपुर को पत्र दिनांक 26.08.2020 प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक मार्ग दर्शन एवं दिशानिर्देश हेतु लेख किया गया है, परंतु आज दिनांक तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को पत्र दिनांक 03.03.2020 एवं 26.08.2020 को प्रेषित कर इस संबंध में यदि आवश्यक कार्यवाही की गई हो तो जानकारी मय अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है, परंतु आज दिनांक तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक /507/ब–4/चार नया रायपुर, दिनांक 12.07.2017 के वित्त निर्देश 11/17, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रमांक–92/समन्वय/श्र.आ./2016/7672, दिनांक 22.11.2016 एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक RPFC I/Sectt/688, दिनांक 18.10.2016 के अनुसार शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं तथा शासन द्वारा चलाये जा रहे संस्थाओं में कार्यरत ठेका तथा आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु श्रमिकों को भविष्य निधि सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियुक्ति दिनांक से पी.एफ. कटौती एवं नियोक्ता अंशदान के भुगतान की कार्यवाही किया जाये।

29 JAN 2021

विषय क्रमांक —9 (विश्वविद्यालय वाहन प्रकोष्ट का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के पुराने वाहन Indica CG02-4019 का मरम्मत कार्योपरांत फर्म Maa Kali Automobile, Rajmahal Parisar, Jagdalpur को राशि रू. 97700 =00 (संतानवे हजार सात सौ) का भुगतान करने के संबंध में।

विभागीय टीप :—

बस्तर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 24वीं बैठक दिनांक 30/09/2019 के विषय क्रमांक 18 में विश्वविद्यालय वाहन Indica CG02-4019 तथा Indigo CG02-4020 के मरम्मत हेतु कार्यपरिषद ने रू. 2.00 (दो लाख) तक के व्यय में स्वीकृति दी थी। इस तारतम्य में स्थानीय फर्मो से भावपत्र आमंत्रित करते हुये प्रथमतः Indica CG02-4019 वाहन की मरम्मत फर्म Maa Kali Automobile, Rajmahal Parisar, Jagdalpur से करवाई गई है। जिसकी जी.एस.टी. सहित मरम्मत लागत रू. 97700 =00 (संतानवे हजार, सात सौ) का भुगतान करने देयक क्रमांक 31, दिनांक 20.03.2020 प्राप्त हुआ है। भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :—

नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक —10 (विश्वविद्यालय वाहन प्रकोष्ट का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय के पुराने वाहन Indigo CG02-4020 को स्थानीय क्रेता फर्मो/ईच्छुकों से दर आमंत्रित करते हुये अपलेखन एवं विक्रय करने के संबंध में।

विभागीय टीप :—

दिनांक 30/09/2019 को बस्तर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 24वीं बैठक के विषय क्रमांक 18 में वाहन Indica CG02-4019 तथा Indigo CG02-4020 के मरम्मत हेतु कार्यपरिषद ने रू. 2.00 (दो लाख) तक के व्यय की स्वीकृति दी थी। इस तारतम्य में Indigo CG02-4020 वाहन की मरम्मत से पूर्व परीक्षण करवाया गया। जिसके अनुसार मरम्मत में अत्यधिक राशि व्यय होने की संभावना बताई गई है।

सुधारकों का यह भी कहना है कि मरम्मत के उपरांत उक्त वाहन लम्बी अवधि तक चलित अवस्था में नहीं रह पायेगा। चूंकि वर्ष 2019 में लोक निर्माण विभाग (वि./यां) तथा आर.टी.ओ. कार्यालय, जगदलपुर द्वारा परीक्षणोपरांत उक्त वाहन का न्यूनतम रू. 60000 = 00 (साठ हजार मात्र) मूल्यांकन किया गया है तथा विक्रय की अनुमानित लागत रू. 1.00 (एक लाख मात्र) से कम होने की संभावना है। इस कारण स्थानीय वाहन क्रेता फर्मो/ईच्छुकों से भावपत्र आमंत्रित करते हुये इस वाहन की बिक्री की जा सकती है। अतः अपलेखन एवं विक्रय की अनुमति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :—

नियमानुसार अपलेखन एवं विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

29 JAN 2021

विषय क्रमांक –11 (विश्वविद्यालय ग्रंथालय का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के लिए पुस्तकें क्रय करने हेतु वर्ष 2019 में निविदा अनुसार अनुबंधित फर्म Techniz Books International, Kalkaji, New Delhi तथा Arvind Prakashan, Ashok Nagar, Main Road, Udaipur [Rajasthan] के अनुबंध की वैद्यता आगामी 01 वर्ष तक अर्थात दिनांक 21/10/2021 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के लिए पुस्तकें क्रय करने हेतु वर्ष 2019 के निविदा में पेपर बाउंड के लिए Techniz Books International, Kalkaji, New Delhi तथा हार्ड बाउंड के लिए Arvind Prakashan, Ashok Nagar, Main Road, Udaipur [Rajasthan] का दर स्वीकृत किया गया। दोनो फर्मो के साथ विश्वविद्यालय का अनुबंध एवं सत्यनिष्ठा संधि दिनांक 22/10/2019 को किया गया। अनुबंध के अनुसार पुस्तकें क्रय करने हेतु अनुबंध की अवधि यदि विश्वविद्यालय चाहे तो आगामी 01 वर्ष तक पुनः बढ़ाई जा सकेगी।

चूंकि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के कारण वर्तमान शैक्षणिक सत्र प्रभावित रहा है तथा सम्पूर्ण पुस्तकों के क्रय आदेश जारी नहीं किये जा सके हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य मे पुनः पुस्तकों की आवश्यकता होगी। इस संबंध में दोनो फर्मो Techniz Books International, New Delhi तथा Arvind Prakashan, Udaipur [RAJASTHAN] का द्वारा स्वीकृत छूट प्रतिषत दर में आगामी 01 वर्ष तक अनुबंध अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। क्रयादेशित फर्म का कार्य संतोषप्रद है। चूंकि पुनः निविदा से विश्वविद्यालय मे आर्थिक भार पड़ेगा, इस हेतु यदि मान्य हो तो उक्त अनुबंध की वैद्यता आगामी 01 वर्ष तक अर्थात दिनांक 21/10/2021 तक बढ़ाये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए अनुबंध की वैद्यता आगामी 01 वर्ष तक अर्थात दिनांक 21/10/2021 तक बढ़ाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –12

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई पूरक एजेण्डा।

निर्णय :–

निरंक

29/01/2021

कुलपति
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

29 JAN 2021